



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23718

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3726/2026

मनोज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: आदर्श कुमार बाजपेयी, राजेन्द्र प्रताप सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं पीड़िता द्वारा इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि दिनांक 25.08.2025 को प्रातः लगभग 4:00 बजे जब उसने घर का दरवाजा खोला, तभी आवेदक वहाँ पहुंच गया और उसे जमीन पर गिराकर उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता ने यह भी कहा है कि बलात्कार करने के बाद आवेदक ने उसे धमकी दी कि यदि वह इस कथित घटना के बारे में किसी को बताएगी तो वह उसके पुत्र की हत्या कर देगा। इसके पश्चात भयवश वह अपने मायके चली गई और अब आज उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने

बयानों में पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन को दोहराया है। अधिवक्ता ने आगे अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कहा कि पीड़िता लगभग 45 वर्ष की विवाहित महिला है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया, किन्तु बलात्कार की घटना के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण 19.11.2025 को, अर्थात् कथित घटना के तीन माह से अधिक समय बाद किया गया। अभियोजन के अनुसार कथित घटना 25.08.2025 को हुई, जबकि पीड़िता ने 18.11.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो कि तीन माह से अधिक की देरी है, और इस विलम्ब का कोई युक्तिसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता द्वारा विलम्ब के संबंध में दिया गया यह स्पष्टीकरण कि घटना के बाद आवेदक द्वारा दी गई धमकी के कारण वह अपने मायके चली गई थी, स्वीकार्य नहीं है। अतः यह तर्क दिया गया कि यह झूठा फंसाने का मामला है तथा आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य एवं दुर्भावना पूर्ण आशय से झूठे एवं निराधार आरोपों के आधार पर इस मामले में फंसाया गया है। आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वे परिस्थितियाँ भी बताई गईं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी न्यायालय द्वारा आवश्यक समझा जाएगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक दिनांक 21.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण से पूर्व के चरण पर आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः उसे कोई उपचार दिए जाने का वह पात्र नहीं है।
4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय इस प्रकरण को जमानत हेतु उपयुक्त पाती है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

5. आवेदक-मनोज को मुकदमा अपराध संख्या 296/2025, धारा 64(1), 333, 351(3) बी.एन.एस., थाना- जाखौरा, जनपद- ललितपुर में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के निजी मुचलके तथा दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन के गवाहों को धमकाएगा या उत्पीड़ित नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा।
- (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके करने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।

6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"